न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-264RAAJodhpur2023-135RTA223 Shrawanram ors Vs Taruram etc
2023-342RAAJodhpur2023-169RTA223 Shrawanram ors Vs Taruram etc

01. श्रवणराम पुत्र बुधाराम
02. खेमाराम पुत्र गेनाराम
03. गंगाराम पुत्र गेनाराम
04. गुडीदेवी पत्नी बुधाराम
05. नगाराम पुत्र लूम्बाराम
06. नेनूदेवी पत्नी गेनाराम
07. मगाराम पुत्र गेनाराम
08. हिम्मताराम पुत्र बुधाराम
सभी जातियान् कुम्हार(प्रजापति) निवासी– जियाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. तारूराम पुत्र सुरताराम
02. अर्जुनराम पुत्र धोकलराम
03. अमराराम पुत्र बुधाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुडीदेवी पत्नी बुधाराम
04. ओमाराम पुत्र धोकलराम
05. कालूराम पुत्र सुरताराम
06. चम्पाराम पुत्र धोकलराम
07. जेठाराम पुत्र बुधाराम
08. धीराराम पुत्र बुधाराम
09. बाबुराम पुत्र सुरताराम
10. रूगाराम पुत्र गेनाराम
सभी जातियान् कुम्हार(प्रजापति) निवासी– जियाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
11. सरपंच ग्राम पंचायत निम्बा का गांव, तहसील बालेसर, पंचायत समिति बालेसर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 37/2023 तारूराम बनाम अर्जुनराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

---

(02)2023-342RAAJodhpur2023-169RTA223 Shrawanram ors Vs Taruram etc

01. श्रवणराम पुत्र बुधाराम
02. खेमाराम पुत्र गेनाराम
03. गंगाराम पुत्र गेनाराम
04. गुडीदेवी पत्नी बुधाराम
05. नगाराम पुत्र लूम्बाराम
06. नेनूदेवी पत्नी गेनाराम
07. मगाराम पुत्र गेनाराम
08. हिम्मताराम पुत्र बुधाराम
सभी जातियान् कुम्हार(प्रजापति) निवासी– जियाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. तारूराम पुत्र सुरताराम
02. अर्जुनराम पुत्र धोकलराम
03. अमराराम पुत्र बुधाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुडीदेवी पत्नी बुधाराम
04. ओमाराम पुत्र धोकलराम
05. कालूराम पुत्र सुरताराम
06. चम्पाराम पुत्र धोकलराम
07. जेठाराम पुत्र बुधाराम
08. धीराराम पुत्र बुधाराम
09. बाबुराम पुत्र सुरताराम
10. रूगाराम पुत्र गेनाराम
सभी जातियान् कुम्हार(प्रजापति) निवासी– जियाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
11. सरपंच ग्राम पंचायत निम्बा का गांव, तहसील बालेसर, पंचायत समिति बालेसर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 37/2023 तारूराम बनाम अर्जुनराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 5, 9
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

16 दिसम्बर 2024

दिनांक : 16 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2023 अनवान तारूराम बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 28 जुलाई 2023 एवं दिनांक 25 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1468 रकबा 17.1991 हैक्टेयर ग्राम जीयाबेरी तहसील बालेसर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 पारित कर तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 135/2023 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जुलाई 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 05/2022 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुति के समय वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा बताया है, किंतु अन्य पक्षकारान् के हिस्से स्पष्ट नहीं किये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों में उनकी अनुपस्थिति बताते हुए जारी किये जाने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। हाल में ही अपीलांट्स को तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर विभाजन प्रस्ताव के समय मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किये जाने पर विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी तो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय जारी किये जाने की जानकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखते हुए विचारण न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। इसी दरम्यान विचारण न्यायालय द्वारा जल्दबाजी करते हुए मामले में निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। तहसीलदार बालेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा सड़क किनारे स्थित कीमती भूमि वादी तारूराम के हिस्से में रख दी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि–विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 37/2023 अनवान तारूराम बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह सभी सहखातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक, पांच व नौ के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये पक्षकारान् के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 पारित कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1468 रकबा 17.1991 हैक्टेयर में से वादी के 1/6 हक–हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बालेसर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(II) तथा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के उप नियम 18 लगायत 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए बंटवाड़े में रास्ते का उल्लेख करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने के निर्देश दिये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर खारिज योग्य है

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.07.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर मामले में आगामी पेशी दिनांक 31.08.2023 की नियत की गई। दिनांक 26 जुलाई 2023 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राराम प्रजापत की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दिनांक 28.07.2023 को ही पेशी मे रखकर प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 135/2023 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

169/2023 स्वीकार किये जाने योग्य पाये से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2023 अनवान तारूराम बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार बालेसर से उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर, उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिनुसार दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर